



राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(32)राजमेस/संस्था/एन.जी/गेप एनालेसिस/2021

जयपुर, दिनांक: 13 JUL 2021

निदेशक,
राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी,
जयपुर।

विषय:- राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी (राजमेस) के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु 3rd एम.सी.आई./एन.एम.सी. रिन्यूवल के तहत नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी (राजमेस) के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों (चुरू, पाली, भीलवाडा, भरतपुर, डूंगरपुर, बाडमेर, सीकर) हेतु 3rd एम.सी.आई./एन.एम.सी. रिन्यूवल के तहत आवश्यक निम्नानुसार नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

S.No	Name of post	No. of Post
1.	Nursing Superintendent	2
2.	T.B. Health Visitor	7
3.	Health Inspector	35
4.	Technical Assistant	13
5.	Lab Technician	78
6.	Lab Assistant	75
7.	Radiographer	5
8.	Medical Social Workers	10
9.	Executive Assistant (Steno/Typist)	51
10.	Executive Assistant (Store Keeper/Record Clerk)	22
11.	Executive Assistant (Medical Record Keeper)	14
12.	Executive Assistant (Clerk Cum Store Keeper)	66
13.	Assistant Programmer	1
Total		379

1. Electrician Cum Plumber के पदों से संबंधित सेवाएं सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से RTPP Act/Rules की पालना सुनिश्चित करते हुए लिये जाने पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त पदों में से जो पद सोसायटी के सेवा नियमों में सम्मिलित नहीं है, उन पदों को सेवानियमों में सम्मिलित कराया जाना सुनिश्चित करावें।
3. उपरोक्त पदों का सृजन एमसीआई/एनएमसी नॉर्म्स के अनुसार किया जा रहा है। चिकित्सा महाविद्यालयों से संलग्न किये जा रहे चिकित्सालयों के पदों को सम्मिलित करते हुए, यदि पद एमसीआई नॉर्म्स से अधिक हो रहे हैं तो आधिक्य पदों को समाप्त किये जाने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।

५१

4. मल्टी टास्क वर्कर (क्लास-4) के आधिक्य पदों का परिवर्तन अन्य मल्टी टास्क वर्कर के पदों जैसे Dark Room Assistant आदि में किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करावें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152100508 दिनांक 09.07.2021 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

८१

(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, राजमेस, जयपुर।
6. नोडल ऑफिसर, वेबसाइट निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव